

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्य प्रदेश**

क्र० 9/नर्सिंग/सेल-3/2016/947  
प्रति,

भोपाल दिनांक 26/10/2016

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/  
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
जिला - सीहोर, विदिशा, जबलपुर, भोपाल, सिंगरौली, सतना  
रायसेन, धार, बालाघाट, खंडवा, देवास, झाबुआ, ग्वालियर, छिंदवाडा  
बडवानी, मुरैना, इंदौर, उज्जैन, खरगौन, सागर  
मध्यप्रदेश।

**विषय :-** एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम वर्ष 2016-17 में प्रवेश हेतु अनुमति बावत्।

आपके अधीनस्थ कार्यरत निम्नानुसार कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम वर्ष 2016-17 में प्रवेश की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	रिमार्क
1	सुरभि खरे, स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. सिहोर	अध्ययन अवकाश की पात्रता होने के कारण शासन के नियमानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
2	मीनल नामदेव, स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. विदिशा	---तदैव---
3	सपना उईके, स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. जबलपुर	---तदैव---
4	सपना राय, स्टॉफ नर्स	जे.पी.अस्पताल भोपाल	---तदैव---
5	रक्षा पाण्डेय, स्टॉफ नर्स	जि. चिकि. बैढन जिला सिंगरौली	---तदैव---
6	रीता मिश्रा, स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. सतना	---तदैव---
7	हर्षलता पाठक, स्टॉफ नर्स	जि.चि सिंगरौली	---तदैव---
8	सपना शुक्ला, स्टॉफ नर्स	सा.स्वा.के.ओबेदुल्लागंज जिला रायसेन	---तदैव---
9	वर्षा जाट, स्टॉफ नर्स	भोज अस्प. जिला धार	---तदैव---
10	रीता निकुरे, स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. बालाघाट	---तदैव---



क्र.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	रिमार्क
11	श्रीमति निशा, स्टाँफ नर्स	जिला चिकि. खंडवा	अध्ययन अवकाश की पात्रता होने के कारण शासन के नियमानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
12	सोनम मेश्राम, स्टाँफ नर्स	जिला चिकि. देवास	---तदैव---
13	मनीषा हटीला, स्टाँफ नर्स	जिला चिकि. झाबुआ	---तदैव---
14	खुशबू तिवारी, स्टाँफ नर्स	जिला अस्प. मुरार ग्वालियर	---तदैव---
15	पॉली हिरकने, स्टाँफ नर्स	जिला चिकि. छिंदवाडा	---तदैव---
16	लक्ष्मी महोबे, स्टाँफ नर्स	जिला चिकि. छिंदवाडा	---तदैव---
17	ज्योति मरावी, स्टाँफ नर्स	जिला चिकि. सिंगरौली	---तदैव---
18	अन्नपूर्णा पांडे, स्टाँफ नर्स	जिला चिकि. सतना	---तदैव---
19	पूर्णिमा भिमटे, स्टाँफ नर्स	जिला चिकि. छिंदवाडा	---तदैव---
20	प्रीति मंडलोई, स्टाँफ नर्स	सिविल अस्प. सेंधवा जिला बड़वानी	---तदैव---
21	दीपा राठौर, स्टाँफ नर्स	जिला चिकि. मुरैना	---तदैव---
22	वन्दना यादव, स्टाँफ नर्स	सिविल अस्प. बीना जिला सागर	---तदैव---
23	श्रद्धा गौर, स्टाँफ नर्स	सा.स्वा.के. लॉजी जिला बालाघाट	---तदैव---
24	टीना गुप्ता, स्टाँफ नर्स	क्षय चिकि. इंदौर	---तदैव---
25	अमृता पाण्डे, स्टाँफ नर्स	जिला चिकि. बैठन जिला सिंगरौली	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण प्रशिक्षण अवधि को अवैतनिक किया जावेगा। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
26	शीनू मिश्रा, स्टाँफ नर्स	जिला चिकि. बैठन जिला सिंगरौली	---तदैव---
27	रानू हरिनखेडे स्टाँफ नर्स	जिला चिकि. जबलपुर	---तदैव---
28	विद्या पाटीदार, स्टाँफ नर्स	जिला चिकि. खरगौन	---तदैव---


X

क.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थान	रिमाक
29	आरती भाटिया, स्टॉफ नर्स	माधवनगर चिकि. उज्जैन	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण प्रशिक्षण अवधि को अवैतनिक किया जावेगा। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
30	दीपिका खरे, स्टॉफ नर्स	सिविल अस्प. सनावद जिला खरगौन	---तदैव---
31	निलोफर नीलू स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. मुरैना	---तदैव---
32	वायलेट जेम्स, स्टॉफ नर्स	जिला चिकि. धार	---तदैव---

उपरोक्त चयनित नर्सिंग कर्मचारियों को निजी संस्थाओं से एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में ही कार्यमुक्त करना होगा। कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई शर्तों के अनुसार लिखित में सहमति एवं अनुबंध पत्र प्राप्त करने के तदपश्चात् इन्हें कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करें।

अध्ययन अवकाश की पात्रता होने पर निर्धारित प्रारूप में अवकाश आवेदन भरकर भेजें एवं अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने की स्थिति में अवैतनिक करने की कार्यवाही करें। स्वीकृत अवकाश अनुसार वेतन आहरण की कार्यवाही की जावें।

जिन कर्मचारियों का आर.एन.आर.एम. रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं किया गया है उनके द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश लिये जाने के पूर्व रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु रजिस्ट्रार कौंसिल में आवेदन प्रस्तुत कर छायाप्रति संचालनालय को उपलब्ध करायें। कर्मचारियों द्वारा एम.एस.सी. नर्सिंग में प्रवेश संबंधित प्रमाण (प्रोविजनल एडमिशन) प्रस्तुत करने के पश्चात् ही इन्हें कार्यमुक्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायें।

  
 डॉ. जे.एल. मिश्रा  
 संचालक (नर्सिंग)  
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
 मध्यप्रदेश

पृ.क0 9/नर्सिंग/सेल-3/2016  
प्रतिलिपि - सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भोपाल दिनांक /10/2016

1. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/भोपाल/सागर/रीवा एवं ग्वालियर संभाग मध्यप्रदेश।
3. संबंधित कर्मचारियों की ओर पालनार्थ।
4. प्रभारी एम-आई, एच. स्थानीय कार्यालय।

संचालक (नर्सिंग)  
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
 मध्यप्रदेश